31/1/2020	प्रार्थनापत्र पेश होने पर प्रकरण में सुयोग्य बैंक के प्रतिनिधि को सुना तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। इससे पाया जाता है कि अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा उक्त बैंक से बन्धक सम्पित्त रखकर, ऋण लिया है। अप्रार्थी ऋण राशि जमा कराने में असफल रहा है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी(अप्रार्थी) को दिनांक 17.10.2019 को धारा, 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। बंधक सम्पत्तियॉ इसी जिले से संबंधित है। अतः The Securitisation and Reconstuction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा–14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर प्रकरण किसी भी न्यायालय में जेरकार एवं स्थगन नहीं है। यदि विवाद है कि तो बैंक इस आदेश की क्रियान्विति नहीं कर, विवाद का संक्षिप्त विवरण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे। यदि विवाद नहीं है तो उक्तानुसार प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गयी सम्पत्ति– **शॉप नं0 01,02, 03, 04 घी वालों का कटला के अन्दर प्रताप चौक, बारां क्षैत्रफल 940 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक जर्ये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां तथा प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। आदेश पृथक से जारी किया जाकर, पत्रावली में संलग्न किया गया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील अभिलेख भण्डार में प्रवीष्ठ हो। जिला मजिस्ट्रेट बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.25 10:46:20 IST
Reason: SelfAttested